



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूमबर

थी श्रीमती गंगाबाई  
 मुकदमा शा.ता

बनाम

विपक्षी श्री लतजी  
 प्रकरण संख्या 44/2020

	कार्यवाही विवरण	
<p><u>01/01/25</u></p>	<p>पत्रा. पेश हुई। वकील उमयपहा उप.। जिनके समक्ष भाज लनकीयात विमोचित की जाकर विवेचन किया गया। मि. वास्ते साह्यवादी के दिनांक 05/03/25 को पेश हो।</p>	
<p><u>05/03/25</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई/वापी-प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/भ्रमण... प्रशासनिक कार्य होने से पत्रावली दि. 21/05/25 को पेश होवे।                  आज्ञा से                    रीडर                  उपखण्ड अधिकारी                  सलूमबर</p>	
<p><u>21/05/25</u></p>	<p>पत्रा. पेश हुई। वादिनी मय अखिलत। अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी लं. 5 ले जायत 7 तक उपस्थित। वादिनी मय अखिलत को न्यायालय समय पर विधिगत रूप से बार-बार आवाजे लगवाई गई। उसके उपरान्त भी वादिनी मय अखिलत। के और धरि रहने से वादिनी का वाद अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.A. का अन्तर्गत धरि व अन्तर्गत धरि में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल सुमार होकर काश्चित् दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।                    सहायक कलक्टर सलूमबर                  जिला सलूमबर</p>	